सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी सौरभ कुमार, कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक — 01/2018
श्री श्यामल मल्लिक,
अधिवक्ता, पुराना बस स्टेंड कोरबा,
जिला कोरबा, छ.ग., ...अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....उत्तरवादी

—आदेश—

(पारित दिनांक 26—03—2018)

श्री श्यामल मल्लिक, अधिवक्ता, पुराना बस स्टेंड कोरबा, जिला कोरबा, छ.ग. के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के विरूद्ध प्रथम अपील जिला परिवहन कार्यालय दन्तेवाड़ा को प्रेषित किया गया। जिसे संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 21—01—2018 को प्राप्त किया गया। यह अपील जिला परिवहन कार्यालय दंतेवाड़ा के पत्र क्रमांक 194/दिनांक 27—02—2018 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 03—03—2018 को हस्तांतरित किया गया। जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। अपर कलेक्टर दंतेवाड़ा वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी दंतेवाड़ा के प्रभार में रहने तथा जिला परिवहन कार्यालयों में स्थित लोक सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित जिले के कलेक्टर होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण पर सुनवाई की गई।

1 अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के साथ जन सूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन दिनांक 23—11—2017, आवेदन शुल्क (रू. 10.00 मात्र का पोस्टल आर्डर) की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील शुल्क 50.00 रू0 का पोस्टल आर्डर क्रमांक 78जी 663988 संलग्न किया है।

2 अपीलार्थी के प्रथम अपील का अवलोकन किया गया जिसमें लेख किया है कि उनके द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को दिनांक 23—11—2017 को प्रेषित आवेदन में (1) आर.टी.ओ. कार्यालय दंतेवाड़ा में पदस्थ समस्त अधिकारियों के नाम, पिता का नाम एवं पता की जानकारी तथा (2) जिला परिवहन कार्यालय के प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पता एवं विवरण की जानकारी चाही गई थी। जो उन्हें समय—सीमा समाप्त होने के उपरांत भी प्रदाय नहीं की गई है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई समस्त जानकारी, विवरण, अभिलेख, दस्तावेज आदि की सत्यप्रतिलिपि को निःशुल्क दिलवाए जाने निवेदन किया है।

3 प्रकरण दर्ज कर जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी दंतेवाड़ा से अपील का जवाब प्रस्तुत करने तथा अपीलार्थी को दस्तावेजों सहित दिनांक 07—03—2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने सूचना पत्र क्रमांक 1370/रीडर/सूकाअ/2018 दिनांक 05—03—2018 जारी किया गया।

4 प्रकरण की सुनवाई तिथि 07—03—2018 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में जिन पांच बिन्दुओं को अपील का आधार बनाया गया है, के संबंध में बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अपील का आधार क्रमांक 01 से 05 निराधार है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् श्री श्यामल मल्लिक का आवेदन दिनांक 23—11—2017 को प्रस्तुत/प्रेषित करने के संबंध में आवक लिपिक आमोश एक्का के द्वारा लिखित में (छायाप्रति संलग्न) सूचित किया गया कि उक्त आवेदन पत्र कार्यालय में अप्राप्त है, साथ ही आवक पंजी के अवलोकन करने पर भी उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिन के अंदर ही चाही गई जानकारी प्रदाय किया जा सकता था, आवेदन पत्र के अभाव में जानकारी प्रदान नहीं की गई जो कि दुर्भावना रहित है। अपीलार्थी को सूचना पत्र प्रेषित करने उपरांत भीसुनवाई दिनांक 7–3–2018 को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व संलग्न दस्तावेजों के साथ–साथ जन सूचना अधिकारी कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा प्रस्तुत जवाब व संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है :–

1 अपीलार्थी ने अपील के साथ, जिला परिवहन अधिकारी दंतेवाड़ा को प्रस्तुत आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त होने के साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज अथवा पावती संलग्न नहीं किया है।

2 जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 23–11–2017 उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं होना अपने जवाब में लेख किया गया है।

3 दिनांक 7–3–2018 को नियत पेशी में उपस्थित होने हेतु अपीलार्थी को सूचना प्राप्त होने के उपरांत उपस्थित नहीं हुआ, न ही दिनांक 23–11–2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पावती प्रस्तुत किया गया।

जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपीलार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने, अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र जमा/प्रेषित करने के साक्ष्य स्वरूप पावती अपील के साथ संलग्न नहीं करने एवं दिनांक 7–3–2018 की पेशी में अपीलार्थी उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील अस्वीकार किया जाता है। दिनांक 06–03–2018 को कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी दंतेवाड़ा के जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न सहपत्रों की प्रति अपीलार्थी के पते पर प्रेषित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क्र0/1867/सू0अ0/अपील/2018 दन्तेवाड़ा दिनांक 26 –03–2018

प्रतिलिपि :–

1– जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2– श्री श्यामल मल्लिक, अधिवक्ता, पुराना बस स्टेंड कोरबा, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश से संतुष्ट न हों तो आप 90 दिवस के भीतर नीचे दिये पते पर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी.आई.ओ., एन.आई.सी. केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पताः–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा